मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेषन कार्पोरेषन लिमिटेड, भोपाल

विषय :— राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की ग्यारहवीं बैठक, दिनांक 27/10/2009 का कार्यवाही विवरण ।

———————————

मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना—2004 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 27/10/2009 को प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में आयोजित हुई । बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों एवं अन्य अधिकारियों की सूची संलग्न परिशिष्ट पर है । बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार चर्चा हुई एवं निर्णय लिये गये :—

1. **एजेण्डा क्रमांक 1 :—** समिति की दसवीं बैठक दिनांक 17/06/2009 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई ।
2. **एजेण्डा क्रमांक 2 :—** समिति की दसवीं बैठक दिनांक 17/06/2009 के पालन प्रतिवेदन से सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया ।
3. **एजेण्डा क्रमांक 3 :—** मध्यप्रदेष उद्योग निवेष संवर्धन सहायता योजना के अन्तर्गत इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात विलंब से पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के सम्बन्धमें एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। प्रकरणवार निम्नानुसार निर्णय लिए गए:—

I. **मेसर्स बिलक्योर रेमेडीज प्रा.लि., इन्दौर :—** इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलम्ब से प्रस्तुत किए गए आवेदन एवं शपथ—पत्र के सन्दर्भ में, समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि, इकाई द्वारा उद्योग स्थापना हेतु उठाए गए प्रभावी कदम, उत्पादन दिनांक, पूंजी निवेष एवं विलम्ब से आवेदन करने के सम्बन्धमें प्रस्तुत शपथ—पत्र आदि के सम्बन्धमें महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से अभिमत सहित प्रतिवेदन प्राप्त किया जावे।

II. **मेसर्स पारले एग्रो प्रा.लि. (विस्तार) औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप** :— इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलम्ब से प्रस्तुत किए गए आवेदन के सन्दर्भ में, शपथ—पत्र एवं अन्य आवष्यक जानकारी सम्मिलित करते हुए परीक्षण कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

III. **मेसर्स कृष्णा फॉस्केम लि., औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर, झाबुआ :—** इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलम्ब से प्रस्तुत किए गए आवेदन एवं शपथ—पत्र के सन्दर्भ में, समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि, इकाई द्वारा उद्योग स्थापना हेतु उठाए गए प्रभावी कदम, उत्पादन दिनांक, पूंजी निवेष एवं विलम्ब से आवेदन करने के सम्बन्धमें प्रस्तुत शपथ—पत्र आदि के सम्बन्धमें महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से अभिमत सहित प्रतिवेदन प्राप्त किया जावे ।

IV. **मेसर्स हाईटेक बटरफ्लॉय बाल्व्स इंडिया प्रा.लि. (विस्तार) औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर :—** इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलम्ब से प्रस्तुत किए गए आवेदन एवं शपथ—पत्र के सन्दर्भ में, समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि, इकाई द्वारा उद्योग स्थापना हेतु उठाए गए प्रभावी कदम, उत्पादन दिनांक, पूंजी निवेष एवं विलम्ब से आवेदन करने के सम्बन्धमें प्रस्तुत शपथ—पत्र आदि के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से अभिमत सहित प्रतिवेदन प्राप्त किया जावे ।

- *उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् पंजीयन हेतु विलम्ब से प्राप्त प्रकरणों के सम्बन्धमें समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि, ऐसे प्रकरणों पर उत्पादन प्रारंभ करने के बाद जितने विलम्ब से आवेदन प्राप्त होता है, उस विलम्ब अवधि पर योजनान्तर्गत सुविधा की पात्रता नही होगी, इस आषय का नियमों में संषोधन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने हेतु परीक्षण किया जाए।*

4. **एजेण्डा क्रमांक 4 :– मेसर्स जयदीप इस्पात एण्ड अलॉयज प्रा.लि. औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर का उद्योग निवेष संवर्धन सहायता योजना–2004 अन्तर्गत पंजीयन निरस्तीकरण पर इकाई का अभ्यावेदन** :– इकाई द्वारा पंजीयन निरस्तीकरण के सम्बन्धमें शासन को अपील भी की गई है, अतः प्रस्तुत एजेण्डा वापस लिया गया।

5. **एजेण्डा क्रमांक 5 :– मेसर्स पेण्टागॉन लेब्स, देवास के क्लेम प्रकरण वर्ष 2006–07 के सम्बन्धमें समिति की बैठक दिनांक 19.08.2008 के परिप्रेक्ष्य में महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र देवास के प्रतिवेदन पर चर्चा :–** इकाई के प्रकरण में महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन पर चर्चा की गई। महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र देवास के निरीक्षण प्रतिवेदन में इकाई के विस्तार अन्तर्गत राषि रूपये 5,56,76,858.00 का स्थायी पूंजी निवेष मान्य किया गया है, तथा वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–9, इन्दौर द्वारा दिनांक 06.11.2008 से जारी संषोधित प्रपत्र–4 के आधार पर योजनान्तर्गत सहायता राषि की अनुषंसा की गई है।

   महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, देवास एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–9, इन्दौर के संषोधित कर पुष्टि प्रपत्र–4 के आधार पर समिति व्दारा विचारोपरांत इकाई को वर्ष 2006–07 के लिए विस्तारित क्षमता हेतु जमा कर राषि रूपये 18,94,051.00 का 50ः रूपये 9,47,026.00 (रूपये नौ लाख सैंतालीस हजार छब्बीस मात्र) उद्योग निवेष संवर्धन सहायता, स्वीकृत की गई।

6. **एजेण्डा क्रमांक 6 :–** मेसर्स व्ही.आर.एस. फूड्स लि., औद्योगिक क्षेत्र घिरोंगी मालनपुर, जिला भिण्ड का तृतीय क्लेम वर्ष 2006–07 प्रस्तुत किया गया । इकाई का उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 01.03.2005 है। उत्पादन प्रारंभ दिनांक तक मान्य स्थिर पूंजी निवेष रूपये 12,27,91,581.00 एवं योजनान्तर्गत तीन वर्ष की अवधि में किए गए स्थिर पूंजी निवेष दिनांक 01.03.2005 से 31.03.2006 तक रूपये 2,14,60,861.00 महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मालनपुर द्वारा सम्मिलित करने हेतु मान्य की गई है। अतः निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर कुल राषि रूपये 14,42,52,442.00 मान्य योग्य है। इकाई का वर्ष 2006–07 का कर निर्धारण दिनांक 30.12.2008 को वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा किया गया है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा इन्पुट टैक्स रिवेट के समायोजन के पश्चात कर रूपये 3,27,91,545.00 की पुष्टि की गई है।

   समिति व्दारा विचारोपरांत इकाई को वर्ष 2006–07 हेतु मूल उत्पादों पर जमा कर राषि रूपये 3,27,91,545.00 की 75ः राषि रूपये 2,45,93,659.00 उद्योग निवेष संवर्धन सहायता, स्वीकृत की गई।

7. **एजेण्डा क्रमांक 7 :–** मेसर्स नर्मदा एक्स्ट्रूजन लि. औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर का क्लेम प्रकरण वर्ष 2006–07 प्रस्तुत किया गया। इकाई का विस्तारित क्षमता हेतु उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 30.09.2006 है। महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर योजनान्तर्गत विस्तारित क्षमता हेतु स्थिर अस्तियों में कुल पूंजी निवेष राषि रूपये 5,97,50,383.00 मान्य की गई है। इकाई का वर्ष 2006–07 का कर निर्धारण दिनांक 30.06.2009 को वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा किया गया है। तद्नुसार विस्तारित क्षमता के तहत् इन्पुट टैक्स रिवेट के समायोजन के पश्चात् आरोपित कर रूपये 85,53,717.00 है। इकाई के योजनान्तर्गत पंजीयन में फेब्रिक तथा स्क्रेप अंकित नही है, अतः इन वस्तुओं पर जमा कर रूपये 5,83,089.00 पर उद्योग निवेष संवर्धन सहायता उपलब्ध नही होगी। उक्त की पुष्टि आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा की गई है।

समिति व्दारा विचारोपरांत इकाई को वर्ष 2006–07 हेतु योजनान्तर्गत पंजीकृत उत्पादों पर जमा कर राषि रूपये 79,70,628.00 की 50: राषि रूपये 39,85,314.00 उद्योग निवेष संवर्धन सहायता, स्वीकृत की गई।

8. **एजेण्डा क्रमांक 8 :–** मेसर्स सुन्दरम् पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर का प्रथम वर्ष 2008–09 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। इकाई का उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 29.12.2008 है। महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के लिए योजनान्तर्गत स्थिर अस्तियों में पूंजी निवेष राषि रूपये 18,32,95,125.00 मान्य की गई। वर्ष 2008–09 में उत्पादित उत्पाद हेतु जमा कर राषि रूपये 4,87,692.00 का 75: रूपये 3,65,769.00 की उद्योग निवेष संवर्धन सहायता हेतु अनुषंसा की गई है।

समिति व्दारा विचारोपरांत इकाई को वर्ष 2008–09 हेतु मूल उत्पादों पर जमा कर राषि रूपये 4,87,692.00 का 75: रूपये 3,65,769.00 उद्योग निवेष संवर्धन सहायता, स्वीकृत की गई।

9. **एजेण्डा क्रमांक 9 :–** मेसर्स ऋषि लेसर लि., औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर का प्रथम वर्ष 2008–09 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। इकाई का उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 05.07.2008 है। महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के लिए योजनान्तर्गत स्थिर अस्तियों में पूंजी निवेष राषि रूपये 5,23,38,519.00 मान्य की गई। वर्ष 2008–09 में उत्पादन हेतु जमा कर राषि रूपये 13,89,204.00 का 50: रूपये 6,94,602.00 की उद्योग निवेष संवर्धन सहायता हेतु अनुषंसा की गई है।

समिति व्दारा विचारोपरांत इकाई को वर्ष 2008–09 हेतु मूल उत्पादों पर जमा कर राषि रूपये 13,89,204.00 का 50: रूपये 6,94,602.00 (रूपये छः लाख चौरानवे हजार छः सौ दो मात्र) उद्योग निवेष संवर्धन सहायता, स्वीकृत की गई।

10. **एजेण्डा क्रमांक 10 :–** मेसर्स विनायक पोलीटेक प्रा.लि., ग्रोथ सेन्टर मनेरी, जिला मण्डला का प्रथम वर्ष 2008–09 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। इकाई का उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 06.05.2008 है। महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मण्डला के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के लिए योजनान्तर्गत स्थिर आस्तियों में पूंजी निवेष राषि रूपये 11,55,80,099.00 मान्य की गई है। वर्ष 2008–09 में आयुक्त, वाणिज्यिक कर की पुष्टि अनुसार इन्पुट टैक्स रिवेट के समायोजन पश्चात् जमा

कर राषि रूपये 74,16,453.00 का 75ः रूपये 55,62,340.00 की उद्योग निवेष संवर्धन सहायता स्वीकृति हेतु अनुषंसा की गई है।

समिति व्दारा विचारोपरांत इकाई को वर्ष 2008–09 हेतु मूल उत्पादों पर जमा कर राषि रूपये रूपये 74,16,453.00 का 75ः रूपये 55,62,340.00 (रूपये पचपन लाख बासठ हजार तीन सौ चालीस मात्र) उद्योग निवेष संवर्धन सहायता, स्वीकृत की गई।

11. **एजेण्डा क्रमांक 11 :–** मेसर्स स्टर्लिंग एग्रो इण्डस्ट्रीज लि., औद्योगिक क्षेत्र, घिरोंगी मालनपुर जिला भिण्ड का क्लेम प्रकरण वर्ष 2008–09 प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा डायवर्सिफाइड उत्पाद हेतु क्लेम प्रस्तुत किया गया है। समिति व्दारा इकाई के उत्पादों के सम्बन्ध में चर्चा की गई तथा निर्णय लिया गया कि इकाई के मूल उत्पाद एवं डायवर्सिफाइड उत्पाद एक दूसरे से भिन्न हैं या नहीं इस सम्बन्ध में तकनीकी विषेषज्ञ ;क्ंपतल म्गचमतजद्ध से अभिमत प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

12. **एजेण्डा क्रमांक 12 :–** मेसर्स कृष्णा फॉस्केम लि., औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर, जिला झाबुआ का प्रथम क्लेम प्रकरण वर्ष 2005–06 प्रस्तुत किया गया। इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन उत्पादन प्रारंभ करने के बाद विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, जिसके सम्बन्ध में प्रकरण प्रक्रियाधीन है। पंजीयन प्रकरण के निराकरण के पश्चात प्रकरण पर विचार करने हेतु निर्णय लिया गया।

13. **अतिरिक्त एजेण्डा :–** समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि, ट्रायफेक द्वारा प्रेषित अतिरिक्त एजेण्डा को आगामी बैठक में रखा जावे ।

उपस्थित सदस्यगण को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त हुई ।

(प्रवीण गर्ग)
प्रबंध संचालक
म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट
फेसिलिटेषन कार्पोरेषन लिमिटेड
एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय
निवेष सवंर्धन साधिकार समिति

(सत्यप्रकाष)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेष शासन
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग
एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय
निवेष संवर्धन साधिकार समिति